ालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर) राज0

सीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
स्व वाद संख्या : 153/2022
MS NO. : **2022/287**

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. गेपूराम पुत्र रामपाल
2. बाबुलाल पुत्र रामपाल
3. चांदू पुत्री रामपाल
4. भंवराई पत्नी रामपाल

जाति– माली, निवासीगण– लिलरिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

स्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.16.08.2022**

स्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकार राज पैरोकार।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 28/03/2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई षेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के हत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बस्सी, पटवार हल्का आ0कालू क दो, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 1390 रकबा 30–12 बीघा किस्म बारानी प्रथम की सरकारी जमीन आई हुई है। उक्त जमीन मोहन पुत्र मोती जाति कुम्हार, गोकल पुत्र हीरा जाति जाट, रामलाल पुत्र आसू जाति माली, भेरा पुत्र हीरा जाति जाट को 60 वर्ष पहले राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई। जिसके कब्जे काश्त अनुसार खातेदारी दिनाँक 21.05.1961 को दी गई तब से चारो काश्तकार अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि जब आवंटन की गई थी उस उक्त वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादीगण संख्या 4 के पति का नाम राजस्व रेकर्ड में रामलाल पुत्र आसू लिख दिया जबकि वादीगण के पिता का नाम रामलाल नही रामलाल है। राजस्व अधिकारीयो की गलती से राजस्व रेकर्ड में रामपाल की जगह रामलाल पुत्र आसू दर्ज कर दिया जो आज तक रेकर्ड में गलत नाम चला आ रहा है। वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादीगण संख्या 4 के पति रामपाल की मृत्यु दिनांक 11.05.2011 को हो गई लेकिन वादीगण अनपढ़ व गरीब काश्तकार होने से इनको पता भी नहीं था कि हमारे पिताजी का नाम राजस्व रेकर्ड में रामपाल की जगह रामलाल पुत्र आसू दर्ज है। वादीगण संख्या 1 व 2 अपनी उक्त भूमि पर बैंक से ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का आ0कालू चक द्वितीय के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

01.03.2022 को गये और गांव बस्सी के खसरा नम्बर 1390 की
ी की नकल देने के लिये निवेदन किया तब पटवारी हल्का आ0कालू चक
द्वितीय ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का नाम राजस्व रेकर्ड में रामलाल पुत्र
दर्ज होने से अभी तक फौतेदगी नामान्तरणकरण तुम्हारे दर्ज नही हुआ तब
01.03.2022 को सर्व प्रथम वादीगण को अपने पिता का नाम राजस्व
में रामपाल की जगह रामलाल पुत्र आसू दर्ज होने का ज्ञान हुआ। इसलिए
वादीगण अपने पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे रामपाल की जगह रामलाल पुत्र
दर्ज करवाने हेतु घोषणा का वादपत्र पेश कर रहे है। वादीगण संख्या 1 से 3
पेता व वादीगण संख्या 4 के पति के नाम की उक्त भूमि के अलावा अन्य
ग्राम बस्सी पटवार हल्का आ0कालू चक द्वितीय खसरा नम्बर 833 आई हुई
जिसमें रामपाल के पुत्रो के नाम जरिये फौतेदगी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
मे वादीगण के पिता का नाम रामपाल दर्ज है। इसके अलावा ग्राम लाम्बिया में
वादीगण के पिता का नाम रामपाल दर्ज है। वादीगण के पिता द्वारा केटल (भेड़)
निर्माण हेतु आवेदन किया उसमें भी पटवारी हल्का लाम्बिया व सरपंच ग्राम
ायत लाम्बिया द्वारा रामपाल के नाम की अनुशंषा की गई। वादीगण के मृतक
ता का निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र रामपाल पुत्र आसू के नाम का बना हुआ
तथा वादीगण संख्या 4 के आधार कार्ड में भी पति का नाम भी आधार कार्ड में
मपाल लिखा हुआ है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी रामपाल पुत्र आसु के नाम का बना
आ है। इसी प्रकार भूमि की पासबुक में रामपाल पुत्र आसू दर्ज है। वादीगण
ंख्या 2 के राशन कार्ड दिनाँक 15.07.2011 का बना हुआ है जिसमें भी
ाबूराम पुत्र रामपाल दर्ज है। सभी दस्तावेजात् में वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता
का नाम रामपाल पुत्र आसू दर्ज होने से खसरा नम्बर 1390 में भी राजस्व रेकर्ड
में रामपाल की जगह रामपाल पुत्र आसू दर्ज किया जाने की घोषणा की जाने की
डिक्री फरमाई जाना जरूरी है। वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादीगण संख्या
4 के पति का नाम रामपाल पुत्र आसू ही है, खसरा नम्बर 1390 में गलती से
रामपाल गलती से रामपाल पुत्र आसू दर्ज कर दिया। रामलाल व रामपाल एक ही
व्यक्ति है, इसलिऐ रामलाल की जगह रामपाल पुत्र आसू खसरा नम्बर 1390 के
राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाने की डिक्री फरमाई जाना जरूरी है। जब कि वादीगण के
पिता का नाम रामपाल की जगह रामपाल पुत्र आसू दर्ज नहीं होगा तब तक
वादीगण के नाम फौतेदगी नामान्तरण नही हो सकेगा। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के
प्रतिनिधि होने से एवं दावा घोषणा का होने से तहसीलदार जैतारण को आवश्यक
पक्षकार बनाया है। राजस्थान सरकार के खिलाफ दावा करने से पहले 2 माह का
नोटिस दिया जाना जरूरी होता है लेकिन दावा [illegible] प्रकृति का होने से 2 माह
का नोटिस दिये बिना ही धारा 80(2) सीपीसी की ...जत लेकर दावा पेश किया
जा रहा है। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 01.03.2022 को पटवारी हल्का
आ0कालू चक नम्बर 2 द्वारा यह कहने पर कि [illegible] आपके पिताजी का नाम राजस्व
रेकर्ड में रामपाल दर्ज है। इसलिए आपके नाम नामान्तरण नहीं हो सकता। सर्व
प्रथम वाद कारण बमुकाम बस्सी पटवार हल्का आ0कालू चक नम्बर 2 तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं

जिला ब्यावर में उत्पन्न हुआ जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है एवं मियाद वादपत्र पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। दी तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर जवाबदावा में कथन किया है ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 1390 रकबा 30-12 बीघा सरकारी होने से ा वल्द मोती कुमार, गोकुल वल्द हीरा जाट, रामलाल वल्द आसू माली, भैरा हीरा जाट को R.T.A. धारा 15 के तहत खातेदारी दी गई थी। यह सही है कि 15 में दी गई खातेदारी के वक्त वादीगण के पिता/पति का नाम रामलाल आसू राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया था। फर्द मौका जाँच दिनाँक 03.02. 24 के अनुसार यह सही है कि वादीगण के पिता/पति का नाम रामपाल पुत्र ू है। यह सही है कि फर्द मौका जाँच अनुसार रामपाल व रामपाल दोनों ही ा का एक ही व्यक्ति रामपाल वल्द आसू थे। वादीगण का अनुतोष माननीय यालय का क्षेत्राधिकार है जवाब देहिन्दा को कोई आपत्ति नहीं है। बहस धेवक्ता वादीगण व सरकारी पैरोकार राज की सुनी गई।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक वलोकन किया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध हस्तगत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बस्सी, पटवार हल्का आ0कालू चक दो, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1390 रकबा 30-12 बीघा किस्म बारानी प्रथम की सरकारी जमीन आई हुई है। उक्त जमीन मोहन पुत्र मोती जाति कुम्हार, गोकल पुत्र हीरा जाति जाट, रामलाल पुत्र आसू जाति माली, भेरा पुत्र हीरा जाति जाट को 60 वर्ष पहले राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई तथा खातेदारी के दस्तावेज तैयार करते वक्त वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादीगण संख्या 4 के पति का नाम सहवन से रामपाल पुत्र आसू की जगह रामलाल पुत्र आसू का अंकन कर दिया जो कि एक रोंग एन्ट्री है।
   वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादीगण संख्या 4 के पति का सही एवं वास्तविक नाम रामपाल पुत्र आसू है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू राजस्व रेकर्ड में रामलाल पुत्र आसू की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की जगह सही व वास्तविक की प्रविष्टि रामपाल पुत्र आसू दर्ज करवाने का आदेश फरमावें।
2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाब मय जाँच व मौका फर्द रिपोर्ट पेश कर कथन किया है कि ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 1390 रकबा 30-12 बीघा सरकारी होने से मोहन वल्द मोती कुमार, गोकुल वल्द हीरा जाट, रामलाल वल्द आसू माली, भैरा वल्द हीरा जाट को R.T.A. धारा 15 के तहत खातेदारी दी गई थी। यह सही है कि धारा 15 में दी गई खातेदारी के वक्त वादीगण के पिता/पति का नाम रामलाल वल्द आसू राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया था। फर्द मौका जाँच दिनाँक 03.02.2024 के अनुसार यह सही है कि वादीगण के पिता/पति का नाम रामपाल पुत्र आसू है। यह सही है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:08 IST
Reason: SelfAttested

ा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है क्योकि खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम रामपाल वल्द जाति माली है। तहसीलदार जैतारण व पटवारी पटवार हल्का आ0कालू चक द्वितीय ाँच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार भी यह स्पष्ट होता है रामलाल वल्द तथा रामपाल वल्द आसू दोनो एक ही व्यक्ति ''रामपाल वल्द आसू'' का नाम है। क खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख दर्ज वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादीगण संख्या 4 के पति के नाम पूर्ण प्रविष्टि **''रामलाल''** को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक ा की प्रविष्टि **''रामपाल''** को बतौर खातेदार दर्ज करते हुये वादपत्र स्वीकार कर ोगण के पक्ष में डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: *आदेश* ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88, 92ए जस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से ीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बस्सी, पटवार हल्का आ0कालू क दो, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1390 रकबा 30-12 बीघा किस्म ारानी प्रथम के भू अभिलेख में दर्ज अंकित प्रविष्टि ***''रामलाल वल्द आसू''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान खातेदार के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि 'रामपाल वल्द आसू'' दर्ज करते हुये खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष विष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक **28/03/2024** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:08 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका जाँच अनुसार रामपाल व रामपाल दोनों ही नाम का एक ही व्यक्ति रामपाल वल्द आसू थे।

वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श करवाए एवं साक्ष्य शपथपत्र पेश किये जो शामिल मिसल किए गए। प्रदर्श–1 पटवारी आ0कालू चक द्वितीय द्वारा दिनाँक 03.02.2024 को तैयार की गई फर्द मौका एवं जाँच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1390 रकबा 30.12 बीघा में सहखातेदार दर्ज रामलाल पुत्र आसू जाति माली एवं रामपाल पुत्र आसू दोनो ही नाम का एक ही व्यक्ति रामपाल पुत्र आसू ही है। अतः वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में रामलाल पुत्र आसू की जगह रामपाल पुत्र आसू शुद्ध किया जाना उचित है।

4. प्रदर्श–2 खसरा नम्बर 1390 के जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2017 से 2020 में रामलाल वल्द आसू का अंकन हो रखा है तथा प्रदर्श–3 वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में भी रामलाल पुत्र आसू का अंकन हो रखा है वही वादीगण की अन्य आराजी ग्राम लाम्बिया, पटवार हल्का लाम्बिया के खसरा नम्बर 68/2 की जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2076(प्रदर्श–4,5 व 6) में रामपाल पुत्र आसू का इन्द्राज हो रखा है। प्रदर्श–7 ग्राम लाम्बिया, पटवार हल्का लाम्बिया के खसरा नम्बर 68/1 जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में गेपू, बाबू, पि. रामपाल कौम माली सा देह का अंकन हो रखा।

5. वादी गेपूराम पुत्र रामपाल द्वारा शपथ पत्र PW-1, पुखराज पुत्र हरिराम जाति माली निवासी मेड़ता तहसील मेड़ता द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र PW-2, पेश किया गया जिनमें वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों का समर्थन किया है।

6. प्रदर्श–10A वादी बाबूलाल का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श– 13A वादीगण संख्या 4 भंवराई का आधार कार्ड, प्रदर्श–14A भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रामपाल का पहचान पत्र, प्रदर्श–15 A रामपाल पुत्र आसू का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श– 16 A वादी बाबूलाल का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श– 17 A वादी गेपूराम का आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये जिनमें वादीगण संख्या 1 से 2 के पिता व वादीगण संख्या 3 के पति के रूप में ''रामपाल'' का अंकन हो रखा है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बस्सी, पटवार हल्का आ0कालू चक दो, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1390 रकबा 30–12 बीघा किस्म बारानी [illegible] रकबा सरकारी भूमि होने से मोहन वल्द मोती कुमार, गोकुल [illegible] आसू माली, भैरा वल्द हीरा जाट को R.T.A. धारा 1[illegible] गई थी तथा खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते वक्त सहवन से रामपाल वल्द आसू की जगह ''रामलाल वल्द आसू'' का अंकन कर दिया जो भू अभिलेख जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2017 से 2020 से लेकर वर्तमान जमाबन्दी 2074 से 2077 में बदस्तुर रहा है। जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

दालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
:– जैतारण जिला ब्यावर
ास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

. गेपूराम पुत्र रामपाल
२. बाबुलाल पुत्र रामपाल
3. चांदू पुत्री रामपाल
4. भंवराई पत्नी रामपाल
जाति– माली, निवासीगण–
लिलरिया, तहसील– जैतारण,
जिला– पाली राज०।

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली राज०।

ास्त वाद बाबत घोषणा
न्तर्गत धारा 88, 92ए
जस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 153/2022
डिक्री दिनांक :– 28.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व ाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व सरकार पैरोकार ाज, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत ारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं ासरवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बस्सी, पटवार हल्का आ0कालू चक दो, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1390 रकबा 30–12 बीघा किस्म बारानी प्रथम के भू अभिलेख में दर्ज अंकित प्रविष्टि ***''रामलाल वल्द आसू''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान खातेदार के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ''रामपाल वल्द आसू'' दर्ज करते हुये खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28/03/2024** को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा	03	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महनताना वकील		
ताना वकील		/	खर्चा गवाहान		/
गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
त ईजराय हुक्मनामा		/	मुत्फरिक		
जानः-	06	-00	मिजानः-	-Nil-	

:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए
ाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:08 IST
Reason: SelfAttested